दिनांक–17 अगस्त, 2012 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिये गये निर्णय :–

कृषि विभाग

1. केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम का 5 वर्षों (2012–13 से 2016–17 तक) में कुल 230.16 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 207.14 करोड़ रूपये तथा राज्यांश 23.02 करोड़ रूपये) की लागत से कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2012–13 में 46.03 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 41.43 करोड़ रूपये एवं राज्यांश 4.60 करोड़ रूपये) की लागत से योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

2. कृषि रोड मैप अन्तर्गत कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति (स्टाइपेन्ड) प्रदान करने हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय को वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक कुल 1050.00 लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा वर्ष 2012–13 में 75.00 लाख रूपये सहायक अनुदान के रूप में विमुक्ति की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

निगरानी विभाग

4. बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली, 2012 की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग

5. वृक्ष संरक्षण योजना की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

पर्यावरण एवं वन विभाग

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर–वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि अपयोजन का राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकार को नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

7. चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि की योजनाओं के लिए कुल ` 2492.38 लाख (चौबीस करोड़ बेरानवे लाख अड़तीस हजार) के व्यय के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

8. ` 1212.37 करोड़ की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवन की प्रशासनिक स्वीकृति, ` 1.00 करोड़ की राशि का योजना के क्रियान्वयन एवं अन्य आकस्मिक कार्य हेतु व्यय की स्वीकृति तथा वर्ष 2012–13 के दौरान ` 250.00 करोड़ रूपये के कार्य की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

9. बिहार लेखा सेवा नियमावली, 2000 में संशोधन के संबंध में। **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

10. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन विभिन्न पदों का दिनांक–01.01.06 से संशोधित एवं पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

विधि विभाग

11. राज्य के सभी न्यायामंडलों के सभी अवर न्यायालयों के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आशुलिपिक के कुल 536 तथा लिपिक के कुल 1028 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में। **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

12. बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के वरीय प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से सुपर टाईम स्केल (वेतनमान 1900–2500 रू०/4100– 5300 रू०) के पदों पर प्रोन्नति से संबंधित मंत्रिमंडल के विचारार्थ संलेख। **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

13. बिहार सरकार, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं आई०एल० एण्ड एफ० एस० इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दिनांक–14.12.2007 को हुए समझौता ज्ञापन (एम०ओ०ए०) के आलोक में दिनांक–14.12.2011 से अगले दो (2) वर्षों के लिए अवधि विस्तार करने की स्वीकृति के संबंध में। **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुदान के रूप में ` 20775.60 लाख (दो सौ सात करोड़ पचहत्तर लाख साठ हजार) उपलब्ध कराते हुए योजनाओं को कार्यान्वित कराने हेतु व्यय करने एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2014–15 तक योजना को चालू रखने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा राज्य अनुसूचित जाति आयोग एवं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थापना एवं अन्य व्यय हेतु क्रमशः ` 189.74 लाख (एक करोड़ नबासी लाख चौहत्तर हजार) एवं ` 97.00 लाख (सनतानवे लाख) अर्थात् कुल ` 286.74 लाख (दो करोड़ छियासी लाख चौहत्तर हजार) मात्र की सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

गन्ना उद्योग विभाग

17. संकल्प ज्ञाप संख्या–1533 दिनांक–12.09.2006 द्वारा निर्गत प्रोत्साहन पैकेज के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योंगों की स्थापना, उनके क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने, उनके द्वारा अर्जित अतिरिक्त क्षमता के कारण उत्पादित अतिरिक्त चीनी के लिए भुगतान किये गये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु तथा अर्जित अतिरिक्त क्षमता के कारण क्रय/खपत किए गये अतिरिक्त छोआ के निमित्त भुगतान किये गये वाणिज्य कर (वैट) की प्रतिपूर्ति एवं विस्तारित क्षमता से पेराई का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदित करने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर को उनके द्वारा निर्धारित शुल्क इत्यादि की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान के रूप में मो० 2367.16 लाख रू० (तेईस करोड़ सड़सठ लाख सोलह हजार रू०) मात्र की योजनाओं पर व्यय की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

18. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित गया जिलान्तर्गत गया–मानपुर पथ में फल्गु नदी पर पहुँच पथ सहित 17x32.80m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य (जॉब सं०–सी०आर०एफ०/बी०आर०/2011–12/57 अन्तर्गत) कुल ` 6451.00 लाख (चौसठ करोड़ एकावन लाख) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

19. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत बिहार शरीफ पथ प्रमंडलान्तर्गत सारे–नोआवाँ पथ के कि०मी० 0 से 12 तक (कुल 12.00 कि०मी० पथांश लंबाई) का क्रॉस ड्रेन, ड्रेन एवं रोड साईनेज आदि कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण संबंधित कार्य कुल 23.0711 करोड़ (तेईस करोड़ सात लाख ग्यारह हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

20. कॉस्ट शेयरिंग आधार पर बिहार राज्य के स्वामित्वाधीन अन्य पथों पर कुल 8 स्थानों (3 स्थानों पर स्थगित करने के उपरान्त) पर अवस्थित लेवल क्रॉसिंग के बदले रेलवे द्वारा स्वीकृत सड़क ऊपरी पुलों एवं पहुँच पथों का निर्माण कार्य करने हेतु राज्यांश के रूप में ` 439.9979 करोड़ (चार सौ उन्चालीस करोड़ निनानबे लाख उनासी हजार) की अनुमानित लागत (यथा संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार) का वहन राज्य योजना मद से प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

22. डा० सीताराम सिंह, प्राचार्य, बी०डी० महाविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया को निदेशक, उच्च शिक्षा बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति एवं प्रतिनियुक्ति की अवधि में उनकी सेवा शर्त्तों को निर्धारित किये जाने के संबंध में। **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

23. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के स्थापना व्यय/वेतनादि भुगतान हेतु वर्ष 2012–13 में गैर–योजनान्तर्गत `25,00,000/–(पच्चीस लाख रूपये मात्र) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में। **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) नं० 61/2002 एम० नागराज एवं अन्य बनाम युनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य सदृश मामलों में दिए गए निदेश के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में परिणामी वरीयता के साथ आरक्षण की सुविधा जारी रखने के संबंध में। **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

25. पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–2), बिहार के कार्य की प्राक्कलित राशि ` 1799.50 करोड़ (एक हजार सात सौ निनानबे करोड़ पचास लाख रूपये) पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

26. वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजनान्तर्गत 4259 पशु मित्रों के संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति तथा सृजित पद के विरूद्ध नियोजिन पशु मित्रों को पाँच माह के लिए रूपये 5000/–(पाँच हजार रू०) प्रतिमाह की दर से निर्धारित अहर्त्ता एवं चयन की प्रक्रिया के आधार पर मानदेय भुगतान हेतु कुल 1064.75 लाख रू० मात्र की स्वीकृति तथा व्यय को बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखने हेतु तत्काल राशि कुल 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रू० मात्र व्यय की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(निबंधन)

27. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के अधीन रू० 1200–1800/–पुराना, रू० 4000–6000/–(अपुनरीक्षित) रू० 5200–20200/–, ग्रेड–पे –2400/–पुनरीक्षित वेतनमान में स्थायी लिपिक सम्प्रति उच्चवर्गीय लिपिक का 22 (बाईस) पद के लिए संलेख के साथ संलग्न सूची के कॉलम–3 में उल्लिखित उच्चवर्गीय लिपिकों के नाम के सामने कॉलम–16 में दर्शाये गयी अवधि के लिए छाया पद/अधिसंख्य पद सृजित करने का प्रस्ताव। **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

28. चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल 1,40,00,000/–(एक करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में। **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

29. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के नियम–5 (ग) के उपखंड (i) एवं (ii) तथा 16 (ङ) का प्रतिस्थापन। **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रांसफर्ड केश (सिविल) नं० 22/2001 में दिनांक–19.04.2012 को पारित आदेश के आलोक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को स्थायी रूप से संचालित किये जाने एवं गैर योजना मद में अस्थायी रूप से सृजित 219 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों में से 183 पदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सामंजन के आधार पर स्थायी करने तथा उच्च न्याय सेवा के संवर्ग वर्ग का 10 प्रतिशत पदों (कुल 29 पदों) पदों को सामंजन के आधार पर स्थायी करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

31. नाबार्ड ऋण योजना (RIDF-XVIII) के अन्तर्गत बिहारशरीफ पथ प्रमंडलान्तर्गत नालन्दा–इस्लामपुर पथ के कि०मी० 0 से 31.16 (कुल 31.16 कि०मी० पथांश लंबाई) में भू–अर्जन, रोड साइनेज, क्रॉस ड्रेन, ड्रेन कार्य, उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल, हार्ड सोल्डरिंग आदि कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 95.5355 करोड़ (पनचानबे करोड़ तिरेपन लाख पचपन हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

32. अंजुमन तरक्की–ए–उर्दू, बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2012–13 में सहायक अनुदान–वेतन मद में रू० 8.00 लाख (आठ लाख रूपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति देने के संबंध में। **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

33. सुशासन के कार्यक्रम अन्तर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालन हेतु स्वीकृत राज्य सम्पोषित ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना'' के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10.00 करोड़ रूपये की दर से कुल 50.00 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस अवधि में प्रति वर्ष 10.00 करोड़ की दर से 50.00 करोड़ रूपये व्यय की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

34. वित्तीय वर्ष 2012–13 में सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत 13वॉ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में कर्णांकित राशि 81800.00 लाख (आठ अरब अठारह करोड़) रूपये अनुदान (Grants in Aid) के रूप में व्यय करने की स्वीकृति। **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

35. वर्ष 2012–13 में पूर्व में डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत 619.75 करोड़ रूपये के अधीन धान के लिए (बिचड़ा सहित) पूर्व में स्वीकृत 5 सिंचाई तथा मक्का के लिए पूर्व में स्वीकृत 3 सिंचाई के अतिरिक्त 1 और सिंचाई के लिए डीजल अनुदान, डीजल पर प्रति लीटर अनुदान को 20 रूपये से बढ़ाकर 25 रूपये प्रति लीटर करने, धान के आच्छादन के लक्ष्य से दिनांक–12.08.2012 तक 50 प्रतिशत कम आच्छादन वाले 7 जिलों में आकस्मिक फसल योजना के तहत अरहर, उड़द, कुल्थी, तोरिया, मूली तथा चौलाई के मिनी किट बीज के रूप में निःशुल्क बीज आपूर्ति के लिए 17.94 करोड़ रूपये के व्यय तथा आकस्मिक फसल योजना में शामिल फसलों की 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति। **स्वीकृत।**